



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102026-277078
CG-DL-E-12102026-277078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5364]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5364]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी विभाग

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5576(अ).— केंद्र सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के उपरांत यह मानते हुए कि यह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश को पशु आहार एवं पशु आहार सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 कहा जा सकेगा।
(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के कॉलम (3) में संबंधित विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुरूप होंगी और भारतीय मानक ब्यूरो से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) के विनियम 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार मानक चिह्न धारण करेंगी।

परंतु यह कि इस आदेश निहित कोई बात निर्यात किए जाने वाले माल और वस्तुओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

परंतु यह है कि सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम, जैसा कि सूक्ष्म, उद्यम एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित है उक्त सारणी के कॉलम (6) और (7) के अंतर्गत संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और अन्य उद्यम क्रमशः कॉलम (5) के अंतर्गत संबंधित प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी - भारतीय मानक ब्यूरो उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए दंड- इस आदेश के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अंतर्गत दंडनीय होगा।

सारणी

क्र.सं.	वस्तुएं या सामग्री	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक	सामान्य रूप से (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त) कार्यान्वयन की तारीख	सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख	लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	गोपशु आहार को संपूरित करने के लिए खनिज मिश्रण	IS 1664	गोपशु आहार को संपूरित करने के लिए खनिज मिश्रण- विनिर्देश	01 अप्रैल, 2027	01 अक्टूबर, 2027	01 जुलाई, 2027
(2)	डाइकैल्शियम फॉस्फेट पशु आहार ग्रेड	IS 5470	डाइकैल्शियम फॉस्फेट पशु आहार ग्रेड- विनिर्देश			
(3)	पशु उपभोग हेतु साधारण नमक और कैटल लिक्स	IS 920	पशुओं के उपभोग हेतु साधारण नमक और कैटल लिक्स के लिए विनिर्देश			

नोट.- इस सारणी के प्रयोजन के लिए, समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण, जिसमें उनके संशोधन भी शामिल हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. आर 99014/17/2023-DADF-Dept , ई- 24990]

डॉ. मुथुकुमारसामी बी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****ORDER**

New Delhi, the 7th October, 2026

S.O. 5576(E).— In exercise of the powers conferred by section 16, of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Animal Feeds and Feed Ingredients (Quality Control) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark.— Goods or articles specified in column (2) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standards specified in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme—I of Schedule—II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export:

Provided further that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the said Table and other enterprises shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under column (5), respectively.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the said Table.

4. Penalty for contravention.- Any person who contravenes any of the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

S.No.	Goods or Articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for micro enterprises	Date of implementation for small enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Mineral mixtures for supplementing cattle feeds	IS 1664	Mineral mixtures for supplementing cattle feeds-Specification	1 st April, 2027	1 st October, 2027	1 st July 2027
(2)	Dicalcium Phosphate, animal feed grade	IS 5470	Dicalcium Phosphate, animal feed grade-Specification			

(3)	Common salt and cattle licks for animal consumption	IS 920	Specification for common salt and cattle licks for animal consumption			
-----	---	--------	---	--	--	--

Note.- For the purpose of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply.

[F. No. R-99014/17/2023-DADF-Dept, E- 24990]

Dr. MUTHUKUMARASAMY B, Jt. Secy.